(8)

प्रकरण संख्या 02/2020 RCMS ID-2020/00052 तारीख रजु–13.07.2020

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

भगवानसहाय पुत्र रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी झारेडा रोड, हिण्डौन सिटी, थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली राज. – अपीलार्थी

बनाम

सरकार – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–08.06.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्याय अनुभाग, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कार्यालय करौली द्वारा पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 को यह आदेश पारित किया गया है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में दिनांक 03.01.2015 से पूर्व जमा कराये जाने है जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गई। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा करवाने का अंतिम अवसर दिया गया किन्तु श्री भगवानसहाय पुत्र रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी झारेडा रोड, हिण्डौन सिटी, थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना शस्त्र संबंधित थाने में जमा नहीं कराने पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर आदेश क्रमांक न्याय/15/1650 दिनांक 13.03..2015 से क्रम संख्या 1 लगायत 20 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया था जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 20 पर अंकित है। इस निर्णय के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील दायर की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 20.12.2019 को पत्रावली रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक, करौली से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी नहीं था। शस्त्र का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा भी पंजीकृत नहीं है। अंत में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल करने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि रेस्पोण्डेण्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा में हथियार संबंधित थाने में जमा नहीं कराया जिससे अपीलार्थी द्वारा आयुध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण अन्य अनुज्ञापत्रों के साथ इसको भी नियमानुसार निलंबित किया गया है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त फरमाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा पत्रांक–ल–1( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2021/752 दिनांक 16.02.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का शस्त्र दिनांक 18.09.2015 से थाना हिण्डौनसिटी में जमा है। अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध कोई अभियोग

पंजीबद्ध नहीं है ना ही कोई प्रकरण विचाराधीन न्यायालय है। अंत में अनुज्ञापत्रधारी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

हमने उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। आदेश दिनांक 29.12.2014 द्वारा पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में शस्त्र जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गई। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा करवाने का अंतिम अवसर दिया गया किन्तु श्री भगवानसहाय पुत्र रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी झारेडा रोड, हिण्डौन सिटी, थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना शस्त्र संबंधित थाने में जमा नहीं कराने पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर आदेश क्रमांक न्याय/15/ 1650 दिनांक 13.03..2015 से क्रम संख्या 1 लगायत 20 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया था जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 20 पर अंकित है। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं होने और ना ही विचाराधीन न्यायालय होना अवगत करवाया है। साथ ही अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना भी अंकित किया है। इसलिये हम अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश दिनांक 13..03.2015 क्रम संख्या 12 पर अंकित श्री भगवानसहाय पुत्र रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी झारेडा रोड, हिण्डौन सिटी, थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली राज. के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी का शस्त्र प्राधिकार पत्र संख्या Pistal 32 Bore RP 114734 बहाल किया जाता है। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग उक्त अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पुलिस अधीक्षक करौली एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली